म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

क्रमांक 1856 / म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अकां–1 / 2023–24 दिनांक 24/7/23

/ /आदेश/ /

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 184 वीं सभा की बैठक दिनांक 27/06/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ओरियंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) में नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

स.क.	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट संख्या	अध्यादेश क्रमांक
1.	B.Sc. (Physics Chemistry Maths)	60	8
2.	B.Sc. (Data Science & Data Visualization)	60	8
3.	Bachelor of Arts (Psychology)	60	8
4.	Bachelor of Computer Application	120	8
5.	Master of Computer Application	120	7

शर्तें :–

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मान्यक एजेंसियों से रेटिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(मा. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

24/7/2023

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल
दिनांक /07/2023

पृष्ठांकन............/ म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल / अका–1 / 2023–24

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.वि. [illegible] भोपाल।
2. कुलसचिव, ओरियंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव
म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल